भारत सरकार
भारी उद्योग मंत्रालय

राज्यसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1521
31.07.2026 को उत्तर के लिए नियत

इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण और वैश्विक रुझान

1521 **श्री रविचंद्र वद्दीराजू:**

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या सरकार ने देश में इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) विनिर्माण क्षमता का विस्तार करने हेतु कदम उठाए हैं;
(ख) वैश्विक स्तर पर इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग के रूझानों के अनुरूप संरेखण हेतु क्या-क्या उपाय अपनाए गए हैं; और
(ग) क्या हरित प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए उद्योगों को प्रोत्साहन प्रदान किए जा रहे हैं?

उत्तर
भारी उद्योग राज्य मंत्री
(श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)

(क) से (ग): इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) तथा उनके घटकों की उत्पादन क्षमता का विस्तार करने और इसे वैश्विक प्रवृत्तियों के अनुरूप बनाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

(i) भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के तीव्र अंगीकरण एवं विनिर्माण (फेम इंडिया) स्कीम चरण-II का कार्यान्वयन 01.04.2019 से 31.03.2024 तक कुल 11,500 करोड़ रुपए के बजटीय परिव्यय के साथ किया गया। इस स्कीम के अंतर्गत ई-दुपहिया, ई-तिपहिया, ई-चौपहिया वाहनों के लिए मांग प्रोत्साहन तथा ई-बसों एवं इलेक्ट्रिक वाहन सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन (ईवीपीसीएस) की संस्थापना हेतु अनुदान प्रदान किया गया।

(ii) भारत में ऑटोमोबिल एवं ऑटो घटक उद्योग के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम को दिनांक 23.09.2021 को अधिसूचित किया गया। यह स्कीम 25,938 करोड़ रुपए के बजटीय परिव्यय के साथ उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी (एएटी)

उत्पादों (ईवी तथा उनके घटकों सहित) के विनिर्माण में भारत की क्षमताओं को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से लागू की गई है।

(iii) देश में उन्नत रसायन सेल (एसीसी) के विनिर्माण हेतु राष्ट्रीय उन्नत रसायन सेल (एसीसी) बैटरी भंडारण कार्यक्रम के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम को दिनांक 09.06.2021 को 18,100 करोड़ रुपए के बजटीय परिव्यय के साथ अधिसूचित किया गया। इस स्कीम का उद्देश्य 50 जीडब्ल्यूएच क्षमतायुक्त एसीसी बैटरियों के लिए प्रतिस्पर्धी घरेलू विनिर्माण पारितंत्र की स्थापना करना है।

(iv) देश में प्रतिवर्ष 6,000 मीट्रिक टन (एमटीपीए) की एकीकृत सिंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट (आरईपीएम) विनिर्माण क्षमता स्थापित करने के उद्देश्य से 7,280 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय वाली सिंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट (आरईपीएम) विनिर्माण संवर्धन स्कीम को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दिनांक 26.11.2025 को अनुमोदित किया गया। उक्त स्कीम को दिनांक 15.12.2025 को अधिसूचित किया गया।

(v) पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट (पीएम ई-ड्राइव) स्कीम को दिनांक 29.09.2024 को 10,900 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ अधिसूचित किया गया। इस स्कीम के अंतर्गत ई-दुपहिया, ई-तिपहिया, ई-ट्रक, ई-बस तथा ई-एम्बुलेंस सहित इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त, इस स्कीम के अंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहन सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन (ईवीपीसीएस) की स्थापना तथा परीक्षण एजेंसियों के उन्नयन हेतु भी अनुदान का प्रावधान है।

(vi) पीएम ई-बस सेवा-भुगतान सुरक्षा तंत्र (पीएसएम) स्कीम को दिनांक 28.10.2024 को अधिसूचित किया गया। इस स्कीम का परिव्यय 3,435.33 करोड़ रुपए है तथा इसका उद्देश्य 38,000 से अधिक इलेक्ट्रिक बसों की तैनाती को समर्थन प्रदान करना है। इस स्कीम का उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन प्राधिकरणों (पीटीए) द्वारा भुगतान में चूक की स्थिति में ई-बस परिचालकों को भुगतान सुरक्षा उपलब्ध कराना है।

(vii) भारत में इलेक्ट्रिक यात्री कारों के विनिर्माण को प्रोत्साहित करने हेतु भारत में इलेक्ट्रिक यात्री कारों के विनिर्माण को बढ़ावा देने संबंधी स्कीम (एसपीएमईपीसीआई) को दिनांक 15.03.2024 को अधिसूचित किया गया। इस स्कीम के अंतर्गत आवेदकों के लिए न्यूनतम 4,150 करोड़ रुपए का निवेश करना तथा तीसरे वर्ष के अंत तक न्यूनतम 25 प्रतिशत और पाँचवें वर्ष के अंत तक न्यूनतम 50 प्रतिशत घरेलू मूल्यवर्धन (डीवीए) प्राप्त करना अनिवार्य है।

इसके अतिरिक्त, ईवी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित पहल भी की गई हैं:-

(i) ईवी तथा इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जर/चार्जिंग स्टेशनों पर जीएसटी की दर घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गई है।

(ii) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) ने घोषणा की है कि बैटरी चालित वाहनों को हरी पंजीकरण प्लेट प्रदान की जाएगी तथा उन्हें परमिट संबंधी आवश्यकताओं से छूट दी जाएगी।

(iii) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राज्यों को ईवी पर सड़क कर में छूट प्रदान करने संबंधी परामर्श जारी किया है, जिससे ईवी की प्रारंभिक लागत कम करने में सहायता मिलेगी।

****